पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 12.01.2018

वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश
(6 मोटरसाईकिले बरामद तीन अभियुक्त गिरफ्तार)

पुलिस थाना कि.गंज अजमेर पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा चोरी नकबजनी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान विजेन्द्रसिंह पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना कि.गंज अजमेर ने टीम वर्ग का गठन कर साईबर सेल प्रभारी जगमाल हैड़ कानि. मय टीम की मदद से तीन अभियुक्तो के कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाईकिले बरामद की गई तथा अभियुक्तगण 1.सोहन सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत उम्र 22 साल निवासी ग्राम डुंगरिया कलां, पोस्ट कड़ेल थाना पुष्कर जिला अजमेर, 2 दीपक दायमा पुत्र शिवराज दायमा जाति मौची उम्र 21 साल निवासी काला बांटा घाटी, ग्राम कड़ेल, थाना पुष्कर जिला अजमेर 3 शिवराज सैनी पुत्र तोलाराम जाति माली उम्र 21 साल निवासी आंगन बाड़ी के पास, ग्राम

बांसेली, थाना पुष्कर जिला को गिरफतार किया गया।प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तगण ने कि.गंज, क्लॉक टावर, पुष्कर थाना क्षेत्र व अन्य जगह से मोटरसाईकिल चोरी करना बताया गया। अभियुक्तगण आले दर्जे के वाहन चोर है जिनके विरूध पूर्व में चोरी कई प्रकरण दर्ज है। जिसने अनुसंधान जारी है कई ओर वारदाते खुलने की संभवनाए है। दिनांक 5.1.18 को परिवादी नारायण गुर्जर निवासी सावित्री चौराहा के पास शिकुन्ड अजमेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी मेरी मोटरसाईकिल बोहरा मेडिकल स्टोर के पास बजरंग गढ़ चौराहा अजमेर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाईकिल चोरी कर ले गये जिस पर प्रकरण संख्या 12/18 धारा 379 ता.हि. में दर्ज कर अज्ञात माल मुल्जिमान की तलाश की गई। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण गिरफ्तार किया गया।टीम के नाम विजेन्द्र सिंह. पु.नि., हरिराम हैड कानि चेनाराम हैड कानि., जगदीश कानि. सुखराम कानि थाना कि.गंज अजमेर व साईबर सेल के जगमाल हैड कानि. रणवीर सिंह कानि., आशीष . देवेन्द्र सिंह . , सुनिल मील

अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशो की पालना मे पुष्पलता शर्मा मय देवाराम श्रीमुरारी लाल अनुसंधान बाक्स मय लेपवटौप मय प्रिन्टर व निजी वाहन के इलाका गश्त व जरायम कन्टोल हेतु चौकी जेपी नगर से रवाना होकर गश्त करता हुई मदारपुरा गाव के पास पहुची जहा पर मुखबीर खास ने सूचना दी की विनोद रैगर नाम का एक व्यकित जो स्लेटी रंग का लाईनदार शर्ट और स्लेटी रंग की पेंट पहने हुए है सफेद प्लासटिक के कटटे मे अवैध शराब के पव्वे लेकर चन्दन सिह रावत की परचुनी की दुकान के सामने कांटे की बाड के पास नई बस्ती मदारपुरा अजमेर बैचने की फिराख मे बैठा है तुरन्त दबिश दी जाये

तो पकड मे आ सकता है । मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने पर मन ौ॰ ने हमराही जाप्ता को मुखबीर की सूचना पर अवगत कराकर कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने के लिए देवाराम को रवाना किया जिसने कुछ समय बाद आकर बताया की कोर्ट पुलिस के चक्कर मे नही पडने व स्थानीय मामला होने से कोई गवाह बनाने को तैयार नही हे जिस पर हमराही जाप्ता मे से देवाराम मुरारी को स्वतंत्र गवाह मामुर कर मन ौ॰ ने हमराही जाप्ता के मदारपुरा से रवाना होकर चन्दन सिह रावत की दुकान के सामने कांटे की बाड के पास नई बस्ती मदारपुरा पहुची जहा पर मुखबीर द्वारा बताये हुये हुलिये का एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ मे सफेद प्लासटिक का कटटा लिये बैठा दिखाई दिया जो पुलिस जाप्ता को बाबदी देख जाने लगा जिसको मन ौ॰ ने हमराही जाप्ता ने भाग कर पकडा व नाम पता पूछा तो विनोद रैगर पुत्र शंकर लाल रैगर जाति रैगर उम्र 28 वर्ष निवासी धुवालिया नाडा रसूलपुरा अजमेर थााना अलवर गेट जिला अजमेर का होना बताया जिसको प्लासटिक के कटटे मे भरे सामान के बारे मे पूछा तो घबरा गया व कोई सतोषप्रद जवाब नही दिया जिस पर प्लासटिक के कटटो को चौक किया तो कटटे मे देशी मदिरा सादा 50न्च180 डस्क्षमता के कुल 52 प्लाटिक के पव्वे मिले जिन पर नीले रंग के ढकन लगे हुए हे व ढकन पर राजस्थान स्टेट गंगानगर सुगर मिलस लिमि लिखा हुआ हैं। उक्त व्यक्ती विनोद कुमार से अपने कब्जे में शराब रखने के लाईसेसं व परमीट के बारे में पुछा गया तो लाईसेसं व परमीट नहीं बताया जिसका यह कत्य अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दण्डनिय अपराध होने से विनोद कुमार के कब्जे में मिली को बतौर वजह सबुत कब्जे पुलिस लिया जाकर सभी पव्वे एक ही ब्राण्ड से रासायनिक परीदक्षण हेतु एक पव्वा नमुना सेम्पल निकालकर शील्ड चिट कर मार्का । जब्ती अवैध शराब नियमानुसार मूर्तिब की गई। अभियुक्त विनोद कुमार द्वारा संज्ञेय अपराध करते हुए पाये जाने शराब के

संबंध में अग्रिम अनुसंधान हेतु धारा 41(1) ब्च्ब के प्रावधानो के अधीन गिरफतार किया गया व मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर जाप्ता, गिरफतार शुदा अभियुक्त विनोद कुमार, जब्त शुदा शराब व मुर्तिबा फर्दात के घटना स्थल से रवाना होकर थाना आयी हू पुलिस थाना अलवरे जिला अजमेर राज० कार्यवाही पुलिस दिनाक 11.1.18 समय 21.56 प्रमाणित किया जाता है मुल्जिम विनोद मय शील्ड शुदाय फर्दात के उपस्थित थाना आई मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 19/54 राज आबकारी अधिनियम के वकु मे आना पाया जाने पर साईट पर शब्द व शब्द टाईप कर प्रकरण सं 24/2018 धारा मे दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान दयानन्द शर्मा के जिम्मे किया गया वजह सबूत माल बाद इन्द्राज जमा मालखाना करवाया मुलजिम को सुपुर्द सन्तरी किया गया प्रतिया नियमानुसार जारी की गई एक प्रति थ्प्त्परिवादी को निशुल्क दी गई उनि शंकर लाल थाना अलवर गेट अजमेर आदि रिपोर्ट पर प्रकर.ा संख्या 24/18 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम में पंजीब} कर उक्त प्रकर.ा का अनुसंधान सउनि दयानन्द शर्मा के जिम्मे की जाकर अनुसंधान आरम्भ किया •या ।

दो स्थाई वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना केकडी में स्थाई वारण्टी जोधाराम पुत्र रामनाथ जाति योगी निवासी बूधपुरा थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर व मोहन पुत्र रूपा कीर निवासी देवली थाना देवली जिला टोंक को श्री प्रभूलाल सउनि के द्वारा गिरफतार किया गया जिनको न्यायालय में पेश किया गया ।